

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2565

11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विदर्भ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सकों का एकीकरण

2565. श्रीमती माया चिंतामन इवनाते:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि विदर्भ क्षेत्र के अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऐलोपैथिक चिकित्सकों की कमी के कारण आयुष चिकित्सक, आयुष एवं ऐलोपैथिक सेवाओं के समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं;
- (ख) नागपुर तथा विदर्भ क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे आयुष चिकित्सकों को आवश्यक प्रशिक्षण, दवाइयों, उपकरणों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा जन स्वास्थ्य गतिविधियों में आयुष चिकित्सकों की भूमिका को परिभाषित करने के लिए कोई नीति तैयार करने का विचार है?

उत्तर

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) और (ख): भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सहित आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के साथ आयुष पद्धतियों को एकीकृत करने की कार्यनीति अपनाई है। यह दृष्टिकोण रोगियों को एक ही स्थान पर सेवा वितरण तंत्र के तहत चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों में से चुनने में सक्षम बनाता है। आयुष डॉक्टरों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत समर्थन दिया जा रहा है, जबकि आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए सहायता साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान की जा रही है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए विदर्भ क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 239 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को तैनात किया गया है।

इसके अलावा, आयुष डाक्टरों सहित नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा यशदा, पुणे में 30 दिनों के मूलभूत प्रशिक्षण के लिए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र में 12 दिनों के मूलभूत प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए आवश्यक दवाओं, उपकरणों और अन्य संसाधनों से भी सुसज्जित हैं।

(ग): महाराष्ट्र राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र का जन स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का अनुसरण कर रहा है। तदनुसार, महाराष्ट्र भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआईएम) ने 25 जनवरी, 2017 के अपने परिपत्र के माध्यम से, पात्र आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों को महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर अधिनियम 1961 में संशोधन करके संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और अभ्यास के दायरे के अनुसार आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी) के निर्दिष्ट पहलुओं का अभ्यास करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा, आयुष स्नातक चिकित्सा अधिकारी राज्य में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों में लगे हुए हैं।
